

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endorsement No. C/271 Jabalpur, dated 10.01.2017.

The Copy of the Notification of the Government of M.P. F.No.1-6-89-XXI-B(1)5036/2016, Bhopal, dated 07.01.2017, as per the provisions of Section 36(2) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 is forwarded to;

1. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information.
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
4. The District and Sessions Judge, Bhopal for information and necessary action with request that the same be served on the concerned Officers also.
5. The Section Officer, Confidential/Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information and necessary action.
6. Server Room, Computer for an appropriate action in connection with uploading the same on the website.

Vivek Saxena
10.01.17
(Vivek Saxena)
O.S.D. (D.E.)



मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल दिनांक -12-2016

फा.क्रमांक 1-6-89-21-ब(एक) 5036/2016 - स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 5 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड
5	श्री निरीश दीक्षित, सोलहवें अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल	भोपाल	भोपाल

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

NOTIFICATION

1. NO1-6-89-XXI-B(1)5036/2016. -In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, in consultation with the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification No. 1-6-89-XXI-A(1) dated 3rd April, 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I, dated the 17th April, 1998, namely:-

AMENDMENTS

In the said Notification, in the Schedule, for serial number 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-


09 JAN 2017

REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF M.P.
JABALPUR
O S D (DE)

SCHEDULE

No.	Name and Designation of Judge	Special Court	Local area Session Divisions
1.	श्री. अशोक कुमार, जज (सिविल) एवं जज (कानून) विशेष न्यायालय, मुंबई	अध्यक्षदेवालय	मुंबई के 18 विशेष न्यायालय
2.	श्री. अशोक कुमार, जज (सिविल) एवं जज (कानून) विशेष न्यायालय, मुंबई	अध्यक्षदेवालय	मुंबई के 18 विशेष न्यायालय
3.	श्री. अशोक कुमार, जज (सिविल) एवं जज (कानून) विशेष न्यायालय, मुंबई	अध्यक्षदेवालय	मुंबई के 18 विशेष न्यायालय
4.	श्री. अशोक कुमार, जज (सिविल) एवं जज (कानून) विशेष न्यायालय, मुंबई	अध्यक्षदेवालय	मुंबई के 18 विशेष न्यायालय
5.	श्री. अशोक कुमार, जज (सिविल) एवं जज (कानून) विशेष न्यायालय, मुंबई	अध्यक्षदेवालय	मुंबई के 18 विशेष न्यायालय
6.	श्री. अशोक कुमार, जज (सिविल) एवं जज (कानून) विशेष न्यायालय, मुंबई	अध्यक्षदेवालय	मुंबई के 18 विशेष न्यायालय
7.	श्री. अशोक कुमार, जज (सिविल) एवं जज (कानून) विशेष न्यायालय, मुंबई	अध्यक्षदेवालय	मुंबई के 18 विशेष न्यायालय
8.	श्री. अशोक कुमार, जज (सिविल) एवं जज (कानून) विशेष न्यायालय, मुंबई	अध्यक्षदेवालय	मुंबई के 18 विशेष न्यायालय
9.	श्री. अशोक कुमार, जज (सिविल) एवं जज (कानून) विशेष न्यायालय, मुंबई	अध्यक्षदेवालय	मुंबई के 18 विशेष न्यायालय
10.	श्री. अशोक कुमार, जज (सिविल) एवं जज (कानून) विशेष न्यायालय, मुंबई	अध्यक्षदेवालय	मुंबई के 18 विशेष न्यायालय

आर. के. वाणी

सचिव

अध्यक्षदेवालय, मुंबई, विशेष न्यायालय, मुंबई